भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4392
दिनांक 27 मार्च, 2025

बेंगलुरु के नगर नियोजन में शहरी गैस वितरण अवसंरचना का एकीकरण

†4392. श्री पी. सी. मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी गैस वितरण (सीजीडी) अवसंरचना को बेंगलुरु के नगर नियोजन और मास्टर प्लान में किस प्रकार एकीकृत किया जा रहा है ताकि इसका निर्बाध विकास और विस्तार सुनिश्चित किया जा सके; और

(ख) क्या बेंगलुरु में सभी नई आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने और पीएनजी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कोई अनिवार्य प्रावधान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना और पाइपलाइन अवसंरचना को बिछाना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का भाग है और यह काम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा उनके न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के अनुसार किया जाता है। पीएनजीआरबी ने बेंगलुरु ग्रामीण और शहरी जिलों के भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए गेल गैस लिमिटेड (जीजीएल) को प्राधिकृत किया है। दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, जीजीएल ने 2,73,706 पीएनजी घरेलू कनेक्शन, 202 औद्योगिक कनेक्शन प्रदान किए हैं और जीए में 129 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं।

कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2023 में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए एक नीति जारी की है, जिसके अनुसार शहर/नगर नियोजन मास्टरप्लान में सीजीडी नेटवर्क शामिल होना चाहिए और सीएनजी स्टेशनों का प्रावधान होना चाहिए। नीति के अनुसार, नगर नियोजन विभाग/नगरपालिका/निगम/शहर और नगर विकास प्राधिकरण/पंचायत आदि को बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करते समय पीएनजी अवसंरचना को शामिल करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने चाहिए। सीजीडी नीति में शहरी स्थानीय निकायों की सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में गैस पाइपलाइन अवसंरचना को शामिल करने का भी प्रावधान है।

****